Working for victims of crime
अपराध के शिकार लोगों के लिए काम करना

अपराध किसी के साथ भी हो सकता है

अपराध के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया तरह-तरह की होती है। हालाँकि अधिकतर अपराध के शिकार लोगों को लम्बे समय तक हानि नहीं झेलनी पड़ती है, फिर भी, वयस्क और बच्चे दोनों पर अपराध गंभीर रूप से असर कर सकता है।

अपराध के शिकार बने लोगों को व्यावहारिक जानकारी और सलाह की ज़रूरत हो सकती है, या उनको बस किसी से बात करने की आवश्यक्ता हो सकती है।

"जब से चोरी हुई है, चाहे मैं जितनी बार भी अपना फ़्लेट साफ़ करूँ, वो मुझे पहले जैसा लगता ही नहीं है।"

"मुझे रास्ते पर हमेशा लगता है कि जिसने मुझपर हमला किया था वह मेरी तरफ़ बढ़ रहा है।"

"मैं कोर्ट जाने और उसकी शकल दोबारा देखने के लिए मजबूर होने के बारे में बहुत ही परेशान हूँ।"

"हमें किसी तरह के बीमा (इंश्योरेंस) या क्षतिपूर्ति क्लेम करने के बारे में पता ही नहीं था।"

विक्टिम सपोर्ट क्या है?

विक्टिम सपोर्ट एक स्वतंत्र राष्ट्रीय चैरिटी यानी परोपकारी संस्था है जो लोगों को अपराध से निपटने में मदद देती है। अपराध होने के बाद, लोकल शाखाओं में स्थित हमारे ट्रेंड वालंटीयर्ज़ यानी प्रशिक्षित स्वयंसेवक, अपराध से प्रभावित लोगों को मुफ़्त और गोपनीय सहारा और जानकारी देने के लिए उनसे संपर्क करते हैं। विक्टिम सपोर्ट को पुलिस और दूसरी संस्थाओं से ऐसे लोगों के बारे में पता लगता है या लोग खुद ही हमसे संपर्क करके मदद माँगते हैं।

विक्टिम सपोर्ट का लक्ष्य समुदाय के सभी लोगों को एक व्यापक सेवा प्रदान करना है और वह हर तरह के लोगों का स्वागत करने और उनको अपनी पूरी संस्था में शामिल करने के लिए वचनबद्ध है।

विक्टिम सपोर्ट अपराध के शिकार बने लोगों, गवाहों और उनके परिवार वालों के अधिकारों और अपराध के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करती है।

कोर्ट में विक्टिम सपोर्ट

विक्टिम सपोर्ट की विटनेस सार्विस (गवाहों के लिए सेवा) अपराध के शिकार लोगों, गवाहों और उनके परिवार वालों व दोस्तों के लिए ट्रायल यानी मुक़दमे के पहले, उसके दौरान और उसके बाद मदद देती है।

सभी क्राउन कोर्ट (सरकारी अदालत) के केंद्रों और मेजिस्ट्रेट के कोर्टों में प्रशिक्षित स्वयंसेवक भावनात्मक सहारा और कोर्ट की कार्यप्रणाली की व्यावहारिक जानकारी देते हैं।

Victim Support

Helping people cope with crime

आप कैसे मदद दे सकते हैं

अधिक धन की सख़्त ज़रूरत है

विक्टिम सपोर्ट को केंद्रीय और स्थानीय सरकार से कुछ पैसे मिलते हैं। अपने दूसरे ख़र्चों के लिए उसे निधि जमा करनी पड़ती है।

आप इन तरीकों से मदद दे सकते हैं :

- किसी प्रोजैक्ट यानी योजना को सहारा देकर
- चंदा देकर
- फ़्रैंड्स ऑफ़ विक्टिम सपोर्ट ('Friends of Victim Support') का सदस्य बनकर।

अधिक स्वयंसेवकों की सख़्त ज़रूरत है

विक्टिम सपोर्ट कई हज़ारों स्वयंसेवकों (वालंटीयर्स) पर निर्भर है जो अपराध के शिकार लोगों को सहायता देने के लिए अपना समय देते हैं। समाज के हर भाग से आने वाले स्वयंसेवकों का हम स्वागत करते हैं। उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उनके ख़र्चे अदा किए जाते हैं।

आप इस तरीक़ों से मदद दे सकते हैं :

- वालंटीयर विज़िटर (भेंट करने वाले स्वयंसेवक) की ट्रेनिंग लेकर
- कोर्ट पर स्थित वालंटीयर की ट्रेनिंग लेकर।

दूसरी तरह से सहायता देने के मौकों के उदाहरण हैं, हमारे काम के लिए पैसे जमा करना, प्रचार करना, दफ़्तर चलाने में मदद देना या अनुवाद और दुभाषिये का काम करना।

अगर आप विक्टिम सपोर्ट की मदद कर सकते हैं, तो हमसे अभी संपर्क कीजिए

विक्टिम सपोर्ट उपलब्ध कराती है

- किसी से गोपनीय रूप से बात करने का प्रबंध
- पुलिस और अदालत की कार्यप्रणाली की जानकारी
- अपराध के शिकार लोगों की ओर से दूसरे संगठनों से संपर्क
- क्षतिपूर्ति और बीमा के मामलों की जानकारी
- मदद के दूसरे स्त्रोतों से सपर्क
- विक्टिम सपोर्ट, लोगों के साथ पुलिस स्टेशन और अदालत जाने के लिए वालंटीयर्स का इंतेज़ाम कर सकती है।

टिप्पणियाँ या शिकायतें

विक्टिम सपोर्ट अपराध के शिकार बने लोगों को उपलब्ध सेवाओं के बारे में टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करती है। अगर कोई भूल हुई है, तो हमारी एक औपचारिक शिकायत की कार्यप्रणाली भी है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विक्टिम सपोर्ट की अपनी लोकल शाखा /

विटनेस सर्विस या नैशनल ऑफ़िस से संपर्क कीजिए।

विक्टिम सपोर्ट से संपर्क करना

विक्टिम सपोर्ट एक चैरिटी यानी परोपकारी संस्था है जो जनता के चंदे पर निर्भर है। अगर आप चंदा देना चाहते हैं, तो कृपया अपनी लोकल शाखा या नैशनल ऑफ़िस से संपर्क कीजिए।

Victim Supportline

0845 30 30 900

विक्टिम सपोर्टलाइन आपको अपनी लोकल विक्टिम सपोर्ट शाखा से संपर्क भी करा सकती है।

विक्टिम सपोर्ट द्वारा प्रकाशित
अध्यक्षा एच आर एच द प्रिंसेस रॉयल

Victim Support National Office, Cranmer House,
39 Brixton Road, London, SW9 6DZ
टेलिफ़ोन : 020 7735 9166 फ़ैक्स : 020 7582 5712
वैबसाइट : www.victimsupport.org

चैरिटी रजिस्ट्रेशन : 298028 कम्पनी नंबर : 2158780
वैबसाइट इंग्लैंड में लिमिटेड बाई गारंटी के रूप में पंजीकृत
वैबसाइट रजिस्टर्ड ऑफ़िस का पता ऊपर दिया हुआ है

अप्रैल 2002